**दिनांक 10 नवम्बर, 2025 (सोमवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रातः 11.30 बजे विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सम्पन्न विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 33वीं बैठक का कार्यवृत्त।**

**बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रोफेसर नवीन चन्द्र लोहनी,<br>कुलपति,<br>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,<br>हल्द्वानी। | अध्यक्ष |
| 2. | प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पाण्डेय,<br>**Rector,** जे0एन0यू0,<br>डीन, संस्कृत एवं भारतीय अध्ययन विद्याशाखा,<br>जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 3. | प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट,<br>विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग एवं परिसर निदेशक,<br>सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा। | सदस्य |
| 4. | डॉ0 एच0सी0 पुरोहित,<br>प्रोफेसर एवं डीन,<br>प्रबन्ध अध्ययन विद्याशाखा, दून विश्वविद्यालय,<br>देहरादून।<br>(वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया) | सदस्य |
| 5. | डॉ0 मनु प्रताप सिंह,<br>प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस विभाग,<br>डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय,<br>आगरा।<br>(वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया) | सदस्य |
| 6. | प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे,<br>निदेशक, मानविकी विद्याशाखा,<br>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 7. | प्रोफेसर पी0डी0 पंत,<br>निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा,<br>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य |



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

8. प्रोफेसर रेनू प्रकाश, सदस्य
निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

9. प्रोफसर जीतेन्द्र पाण्डेय, सदस्य
निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

10. प्रोफेसर एम0एम0 जोशी, सदस्य
निदेशक, पर्यटन,आतिथ्य एवं होटल प्रबन्धन विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

11. प्रोफेसर प्रवेश कुमार सहगल सदस्य
निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

12. प्रोफेसर गगन सिंह, सदस्य
निदेशक, वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

13. प्रोफेसर आशुतोष कुमार भट्ट, सदस्य
निदेशक, व्यवसायिक अध्ययन विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

14. प्रोफेसर मंजरी अग्रवाल, सदस्य
निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

15. प्रोफेसर डिगर सिंह फर्स्वाण, सदस्य
निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

16. प्रोफेसर अरविन्द भट्ट, सदस्य
निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

17. प्रोफेसर राकेश चन्द्र रयाल, सदस्य
निदेशक, पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

18. प्रोफेसर कमल देवलाल, सदस्य
निदेशक, विधि विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

19. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, सदस्य
आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
(वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)

20. डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी, सदस्य
सह-आचार्य, वानिकी,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

21. डॉ0 वीरेन्द्र कुमार, सदस्य
सह-आचार्य, कृषि,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

22. डॉ0 सुमित प्रसाद, सदस्य
सहायक आचार्य, प्रबन्ध अध्ययन,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

23. श्री खेमराज भट्ट, सदस्य सचिव
कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

बैठक आरम्भ होने से पूर्व सर्वप्रथम सदस्य सचिव, विद्या परिषद द्वारा कुलपति/अध्यक्ष, विद्या परिषद तथा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 33वीं बैठक में स्वागत किया गया।

तदुपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्यों- प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, प्रोफेसर बृजेश कुमार पाण्डेय तथा आभासीय **(Online)** माध्यम से बैठक में उपस्थित डॉ0 एच0सी0 पुरोहित एवं डॉ0 मनु प्रताप सिंह



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

का बैठक में प्रतिभाग हेतु विशेष आभार व्यक्त करते हुए समस्त सदस्यों का विद्या परिषद की 33वीं बैठक में स्वागत किया गया।

विद्या परिषद के बाह्य सदस्य प्रोफेसर एच0सी0 पोखरियाल अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के कारण बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सके।

समस्त सदस्यों के स्वागतोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत कार्यसूची में सम्मलित प्रत्येक प्रस्ताव को सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। विद्या परिषद द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया:-

**प्रस्ताव संख्या 33.01- विद्या परिषद की 31वीं बैठक दिनांक 11.03.2025 एवं 32वीं बैठक (By Circulation एक सूत्रीय कार्यसूची) दिनांक 03.04.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुमोदन।**

सदस्य सचिव द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि विद्या परिषद की 31वीं बैठक दिनांक 11.03.2025 का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–यू0ओ0यू0/R/वि0परि0/31/2025, दिनांक 11.03.2025 द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों के मध्य इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन प्रस्तावित हो तो अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। तदनुसार परिचालित कार्यवृत्त पर माननीय सदस्यों से कोई असहमति/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है।

उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में एम0एड0 (विशेष शिक्षा- ID, HI एवं VI) कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होने के फलस्वरूप शैक्षणिक सत्र 2025-26 से एम0एड0 (विशेष शिक्षा- ID, HI व VI), M.A. Human Rights एवं M.A. Library & Information Science कार्यक्रम को संचालित किये जाने हेतु विद्या परिषद की 32वीं आवश्यक (Urgent) बैठक (By Circulation एक सूत्रीय कार्यसूची) आयोजित की गई।

*निर्णय:-* ***विद्या परिषद द्वारा उक्तानुसार प्रस्ताव से अवगत होते हुए सर्वसम्मति से विद्या परिषद की 31वीं बैठक दिनांक 11.03.2025 के कार्यवृत्त एवं 32वीं बैठक (By Circulation एक सूत्रीय कार्यसूची) दिनांक 03.04.2025 की पुष्टि को अनुमोदित किया गया।***

**प्रस्ताव संख्या 33.02- विद्या परिषद की 31वीं बैठक दिनांक 11.03.2025 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।**

विद्या परिषद की 31वीं बैठक दिनांक 11.03.2025 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही में सम्मलित समस्त प्रस्तावों पर हुई कार्यवाही से सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया।

*निर्णय:-* ***विद्या परिषद द्वारा 31वीं बैठक दिनांक 11.03.2025 के निर्णयों पर हुई कृत कार्यवाही से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव पर की गयी कृत कार्यवाही पर सहमति व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्ववि...
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उ...

**प्रस्ताव संख्या 33.03- विश्वविद्यालय में दशम दीक्षान्त समारोह आयोजित किये जाने से पूर्व विद्या परिषद की अनुमति लिये जाने के संबंध में।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-10 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष एक बार दीक्षान्त समारोह आयोजित किये जाने की व्यवस्था वर्णित है। इस परिनियम के अन्तर्गत विनिर्मित अध्यादेश के अध्याय ग्यारह में भी दीक्षान्त समारोह आयोजित किये जाने से संबंधित विस्तृत उल्लेख है। परिनियमावली की उक्त व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय का दशम दीक्षान्त समारोह माह जनवरी,2026 में दिनांक 05.01.2026 से दिनांक 15.01.2026 के मध्य में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। दीक्षान्त समारोह की तिथि निर्धारित किये जाने हेतु माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय को विश्वविद्यालय द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।

विश्वविद्यालय में **शैक्षणिक सत्र 2024-25** में पीएच0डी0(शोध उपाधि) में **03,** स्नातक में **10497** एवं स्नातकोत्तर में **7649** शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पीएच0डी0(शोध उपाधि)/स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण **कुल 18149** शिक्षार्थियों को दीक्षान्त समारोह में उपाधियां एवं **51 स्वर्ण पदक** प्रदान किये जाने हैं, जिसमें **45** नियमित स्वर्ण पदक (14 स्नातक स्तर व 31 स्नातकोत्तर स्तर), **02** कुलाधिपति स्वर्ण पदक (01 स्नातक स्तर व 01 स्नातकोत्तर स्तर) तथा **04** प्रायोजित स्वर्ण पदक (Sponsored Madel) हैं जिनकी सूची प्रस्ताव के साथ रक्षित है। तद्क्रम में प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

*निर्णय:-* ***प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर विश्वविद्यालय के दशम दीक्षान्त समारोह आयोजित किये जाने हेतु प्रस्तावित तिथि के संबंध में विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा माह जनवरी में कोहरे के कारण मौसम खराब होने की आशंका के दृष्टिगत विश्वविद्यालय का दशम दीक्षान्त सहारोह माह दिसम्बर, 2025 में आयोजित कराये जाने का सुझाव दिया गया।***

***तद्क्रम में परिषद द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न पीएच0डी0(शोध उपाधि), स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों एवं स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची का अवलोकन किया गया। तदुपरान्त विश्वविद्यालय के दशम दीक्षान्त समारोह में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरों पर उत्तीर्ण कुल 18146 शिक्षार्थियों एवं 03 शोध उपाधि धारकों, कुल 18149 शिक्षार्थियों को उपाधि प्रदान किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

***साथ ही विश्वविद्यालय के दशम दीक्षान्त समारोह में विभिन्न कार्यक्रमों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत सूची में परीक्षा समिति की 20वीं बैठक दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 के मद संख्या 20.13- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-1 में परिषद द्वारा किये गये संशोधन यथा- "किसी भी कार्यक्रम में यदि छात्र संख्या 40 या उससे अधिक होती है, तो ही उस कार्यक्रम की परीक्षा में सर्वोच्च अंक धारकों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाय" के अनुसार स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची निर्मित किये जाने की संस्तुति की गई।***



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उ...)

**प्रस्ताव संख्या 33.04- वैदिक ज्योतिष विभाग के पीएच0डी0 शोधार्थी श्री शशांक शर्मा नामांकन संख्या-16091240 की दिनांक 16.06.2025 को सम्पन्न मौखिक परीक्षा की आख्या का अनुमोदन।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि **वैदिक ज्योतिष** विभाग के पीएच0डी0 शोधार्थी **श्री शशांक शर्मा** नामांकन संख्या-**16091240** शोध शीर्षक **"सप्तम भाव विमर्श"** हेतु पीएच0डी0 मौखिक परीक्षा डॉ0 नन्दन कुमार तिवारी, शोध निर्देशक की उपस्थिति में **दिनांक 16.06.2025** को सम्पन्न करा ली गयी है। मौखिक परीक्षा की आख्या को माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

| पीएच.डी. शोधार्थी का नाम | नामांकन संख्या | शोध निर्देशक | पीएच.डी. मौखिक परीक्षा की तिथि | विषय | शोध शीर्षक |
|---|---|---|---|---|---|
| श्री शशांक शर्मा | 16091240 | डॉ0 नन्दन कुमार तिवारी | 16.06.2025 | ज्योतिष | " सप्तम भाव विमर्श " |

*<u>निर्णय:-</u>* *विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर माननीय कुलपति जी की स्वीकृति पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।*

**प्रस्ताव संख्या 33.05- वैदिक ज्योतिष विभाग के पीएच0डी0 शोधार्थी श्री बसुदेव प्रसाद नामांकन संख्या-21240949 की दिनांक 30.08.2025 को सम्पन्न मौखिक परीक्षा की आख्या का अनुमोदन।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि **वैदिक ज्योतिष** विभाग के पीएच0डी0 शोधार्थी **श्री बसुदेव प्रसाद** नामांकन संख्या-**21240949** शोध शीर्षक **"आचार्यवराहमिहिरोक्त राजयोगानां परिशीलनम्"** हेतु पीएच0डी0 मौखिक परीक्षा डॉ0 नन्दन कुमार तिवारी, शोध निर्देशक की उपस्थिति में **दिनांक 30.08.2025** को सम्पन्न करा ली गयी है। मौखिक परीक्षा की आख्या को माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

| पीएच.डी. शोधार्थी का नाम | नामांकन संख्या | शोध निर्देशक | पीएच.डी. मौखिक परीक्षा की तिथि | विषय | शोध शीर्षक |
|---|---|---|---|---|---|
| श्री बसुदेव प्रसाद | 21240949 | डॉ0 नन्दन कुमार तिवारी | 30.08.2025 | ज्योतिष | "आचार्यवराहमिहिरोक्त राजयोगानां परिशीलनम् " |

*निर्णय:-* *विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर माननीय कुलपति जी की स्वीकृति पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।*



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

**प्रस्ताव संख्या 33.06- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक कार्यक्रमों में Research Project/ Dissertation/Seminar लागू किये जाने हेतु दिनांक 08 अप्रैल, 2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुति एवं इस हेतु निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान द्वारा निर्मित AI आधारित मूल्यांकन की कार्ययोजना व Standard Operating Procedure (SOP) पर विचार/अनुमोदन।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डे निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान विद्याशाखा द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक कार्यक्रमों में Research Project/ Dissertation/ Seminar लागू किये जाने हेतु निदेशक, अकादमिक की अध्यक्षता में दिनांक 08 जनवरी, 2025 को सम्पन्न हुई बैठक की संस्तुतियां विद्या परिषद की 31वीं बैठक दिनांक 11 मार्च, 2025 में प्रस्तुत की गई। विद्या परिषद द्वारा इस संबंध में तकनीकि पहलूओं का परीक्षण किये जाने हेतु विद्या परिषद के माननीय सदस्य प्रोफेसर एच0सी0 पोखरियाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई।

विद्या परिषद द्वारा गठित समिति की दिनांक 08 अप्रैल, 2025 को प्रोफेसर एच0सी0 पोखरियाल की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। इस संबंध में समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान विद्याशाखा Research Project/ Dissertation/ Seminar हेतु AI आधारित मूल्यांकन की कार्ययोजना व Standard Operating Procedure (SOP) तैयार कर माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत करेंगें। तद्क्रम में Research Project/ Dissertation/ Seminar लागू किये जाने हेतु दिनांक 08 अप्रैल, 2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां एवं इस संबंध में निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान विद्याशाखा द्वारा निर्मित AI आधारित मूल्यांकन की कार्ययोजना व Standard Operating Procedure (SOP) विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

***निर्णयः-*** ***प्रस्तुत प्रस्ताव का विद्या परिषद द्वारा अवलोकन कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक कार्यक्रमों में Research Project/ Dissertation/Seminar लागू किये जाने हेतु दिनांक 08 अप्रैल, 2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों के बिन्दु संख्या-2 में पिछले चार सत्रों में औसत 75 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित किए होंगे को संशोधित कर पिछले तीन सत्रों में औसत 75 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित किए होंगे, करते हुए शेष संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही परिषद द्वारा AI आधारित मूल्यांकन की कार्ययोजना व Standard Operating Procedure (SOP) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ही लागू किए जाने पर निर्णय पारित किया गया।***

**प्रस्ताव संख्या 33.07- विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में समन्वयक/ सह-समन्वयकों के कार्य दायित्व निर्धारित किये जाने के संबंध में विचार।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की परिनियमावली में पाठ्यक्रम समन्वयक नियोजित किये जाने की कोई व्यवस्था प्राविधानित नहीं है। पूर्व में जिन विभागों में नियमित शिक्षक नियुक्त हैं वहां संबंधित शिक्षकों को समन्वयक का दायित्व दिया गया तथा जिन विभागों में केवल अकादमिक परामर्शदाता/असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.) ही नियुक्ति हैं उस स्थिति में संबंधित पाठ्यक्रम के वरिष्ठ



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

अकादमिक परामर्शदाता/अस्सिटेंट प्रोफेसर (ए.सी.) को विद्याशाखा निदेशक की संस्तुति पर संबंधित पाठ्यक्रम के समन्वयक का दायित्व दिया गया था।

इस संबंध में दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 को समस्त विद्याशाखा निदेशकों की बैठक में अनुशंसा की गई कि विभागों में समन्वयक का दायित्व स्थाई रूप से नियुक्त शिक्षकों के पास रहेगा, जिन विभागों में स्थाई शिक्षक नियुक्त नहीं है, वहॉ संबंधित विद्याशाखा निदेशक प्रभारी रहेगें। विभाग के कार्य संचालन हेतु सह-समन्वयक का अनुमोदन विद्याशाखा निदेशक माननीय कुलपति जी से कराएंगे। तद्क्रम में प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

*निर्णय:-* ***प्रस्तुत प्रस्ताव का विद्या परिषद द्वारा अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया कि विभागों में समन्वयक का दायित्व स्थाई रूप से नियुक्त शिक्षकों के पास रहेगा, जिन विभागों में स्थाई शिक्षक नियुक्त नहीं है, वहॉ संबंधित विद्याशाखा निदेशक प्रभारी रहेगें। विभाग के कार्य संचालन हेतु संबंधित विषय में नियोजित अस्सिटेंट प्रोफेसर (ए.सी.) को सह-समन्वयक का दायित्व दिये जाने का अनुमोदन विद्याशाखा निदेशक माननीय कुलपति जी से कराएंगे। साथ ही जिन विभागों में एक से अधिक स्थाई शिक्षक नियुक्त हैं वहां चक्रानुक्रम में ज्येष्ठता के आधार पर समन्वयक का कार्यकाल 03 वर्ष निर्धारित होगा तथा जहॉ आवश्यकता हो उन विभागों में स्थाई शिक्षकों को ज्येष्ठता के आधार पर सह-समन्वयक भी बनाया जा सकता है।***

**प्रस्ताव संख्या 33.08- शोध उपाधि अधिनियम-2023 के क्रम में 'शोध निर्देशकों' को मान्यता देने के संबंध में गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश-2023 के अनुच्छेद 6 (6.1) में "विश्वविद्यालय के प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले स्थाई संकाय सदस्य जिन्होंने पीएच0डी0 प्राप्त करने के साथ पीयर-रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम पॉच (5) शोध प्रकाशित किए हैं। और सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले स्थाई संकाय सदस्य जो पीएच0डी उपाधि धारक हो तथा जिसके द्वारा पीयर-रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम तीन (3) शोध पत्र प्रकाशित किए गए हों उन्हें विश्वविद्यालय में शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है जहां वे कार्यरत हैं।" का उल्लेख है। अध्यादेश में वर्णित उक्त व्यवस्था के अधीन विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉ0 दीप प्रकाश, सहायक प्राध्यापक, रसायन विज्ञान द्वारा शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

शोध निर्देशन की अर्हता का परीक्षण किये जाने हेतु शोध एवं नवाचार विभाग द्वारा विभिन्न विद्याशाखाओं से शोध उपाधि अधिनियम-2023 के प्राविधानों के अनुरूप आवेदन-पत्र मांगे गये। प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण किये जाने हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसमें प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक अकादमिक, प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, शोध एवं नवाचार, प्रोफेसर सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक तथा डॉ0 शालिनी सिंह, विषय-विशेषज्ञ, विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय ने प्रतिभाग किया। गठित समिति द्वारा **डॉ0 दीप प्रकाश, सहायक प्राध्यापक, रसायन विज्ञान** को शोध निर्देशक के रूप में मान्यता दिये जाने की अनुशंसा की



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

गयी है। तद्क्रम में गठित समिति की दिनांक 04.11.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

<u>निर्णयः-</u> ***विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर डॉ0 दीप प्रकाश, सहायक प्राध्यापक, रसायन विज्ञान को शोध निर्देशक के रूप में मान्यता दिये जाने हेतु गठित समिति की दिनांक 04.11.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुति पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

**प्रस्ताव संख्या 33.09- राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET) द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम "असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर (Level -5)" की प्रतिभागी पुस्तिका एवं प्रशिक्षक मार्गदर्शिका के निर्माण के संबंध में दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार/अनुमोदन।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET) द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम "असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर (Level -5)" की प्रतिभागी पुस्तिका एवं प्रशिक्षक मार्गदर्शिका के निर्माण के संबंध में दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गई है।

<u>निर्णयः-</u> ***विद्या परिषद द्वारा NCVET द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम "असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर (Level -5)" की प्रतिभागी पुस्तिका एवं प्रशिक्षक मार्गदर्शिका के निर्माण के संबंध में दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों का अवलोकन किया गया। तद्क्रम में संबंधित संस्तुति के बिन्दु संख्या-01 व 03 में 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा' के स्थान पर 'विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा' संशोधित करते हुए शेष संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

**प्रस्ताव संख्या 33.10- यू0जी0सी0 विनियमों के अनुरूप (ओडीएल एवं ऑनलाइन कार्यक्रम) अध्ययन सामग्री के विकास और संरचना पर नीति निर्धारित किये जाने के संबंध में विचार।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रोफेसर मंजरी अग्रवाल द्वारा विद्या परिषद को विस्तार से अवगत कराया गया कि यू0जी0सी0 विनियमों के (ओडीएल एवं ऑनलाइन कार्यक्रम) अनुरूप प्रस्तावित किया गया है कि विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि **60% अध्ययन सामग्री विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं (इन-हाउस) विकसित की जाए** तथा इस उद्देश्य के लिए किसी भी तृतीय पक्ष एजेंसी की सेवाएँ नहीं ली जाएँगी। अधिकतम **40% सामग्री** प्रमाणिक **मुक्त शैक्षिक संसाधनों(OERs)** जैसे- **ई-पीजी पाठशाला, SWAYAM** तथा अन्य **MOOCs** प्लेटफ़ॉर्मों से ली जा सकती है, बशर्ते कि उचित **स्रोत उल्लेख (attribution)** एवं **कॉपीराइट अनुपालन (copyright compliance)** सुनिश्चित किया जाए।



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

आंतरिक रूप से विकसित सामग्री विश्वविद्यालय के **शिक्षकों, अनुबंधित विषय विशेषज्ञों तथा अकादमिक संपादकों** की सक्रिय भागीदारी से तैयार की जाएगी, जो सामूहिक रूप से **यूनिट लेखन, समीक्षा तथा संपादन** की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे, ताकि अध्ययन सामग्री की **गुणवत्ता, मौलिकता तथा शैक्षणिक अखंडता** सुनिश्चित की जा सके। तद्क्रम में प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

<u>निर्णय:-</u> ***प्रस्तुत प्रस्ताव का विद्या परिषद द्वारा अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया कि यू0जी0सी0 द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर, 2020 (ओडीएल एवं ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय न्यूनतम 60% अध्ययन सामग्री स्वयं (इन-हाउस) विकसित करेगा और आवश्यकता अनुसार 100% अध्ययन सामग्री भी स्वयं विकसित कर सकता है। तथापि, जहाँ उपयुक्त हो, अधिकतम 40% सामग्री ई-पीजी पाठशाला, SWAYAM तथा अन्य MOOCs प्लेटफ़ॉर्मों , प्रमाणिक मुक्त शैक्षिक संसाधनों (OERs) से ली जा सकती है। आंतरिक रूप (इन-हाउस) से विकसित अध्ययन सामग्री विश्वविद्यालय के शिक्षकों, सूचीबद्ध (empanelled) बाह्य विषय विशेषज्ञों तथा अकादमिक संपादकों की सक्रिय भागीदारी से तैयार की जाएगी, जो सामूहिक रूप से इकाई लेखन, समीक्षा तथा संपादन की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। आंतरिक रूप (इन-हाउस) से विकसित अध्ययन सामग्री का कॉपीराइट विश्वविद्यालय के पास रहेगा ।***

**प्रस्ताव संख्या 33.11- विधि विद्याशाखा के अन्तर्गत मानव अधिकार एवं अन्तराष्ट्रीय कानून विभाग में पीएच0डी0 कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के संबंध में विचार।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ0 दीपांकुर जोशी, सहायक प्राध्यापक/ समन्वयक, विधि द्वारा विधि विद्याशाखा के अन्तर्गत मानव अधिकार एवं अन्तराष्ट्रीय कानून विभाग में पीएच.डी. कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसका विस्तृत विवरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

<u>निर्णय:-</u> ***प्रस्तुत प्रस्ताव का विद्या परिषद द्वारा अवलोकन कर विधि विद्याशाखा के अन्तर्गत मानव अधिकार एवं अन्तराष्ट्रीय कानून विभाग में पीएच.डी. कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

**प्रस्ताव संख्या 33.12- विश्वविद्यालय में स्थापित महिला अध्ययन केन्द्र के वार्षिक अकादमिक कलेण्डर एवं महिला मुद्दों पर आधारित शोध पत्रिका 'विदुषी' के प्रकाशन हेतु निर्मित नियमावली पर विचार।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रोफेसर रेनू प्रकाश, संयोजक, महिला अध्ययन केन्द्र द्वारा विद्या परिषद को विस्तार से अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में स्थापित महिला अध्ययन केन्द्र की Standard Operating Procedure (SOP) विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 43वीं बैठक दिनांक 04 अप्रैल, 2025 द्वारा अनुमोदित है। महिला अध्ययन



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

केन्द्र द्वारा इस SOP के अन्तर्गत वार्षिक अकादमिक कलेण्डर तथा 'विदुषी' शोध पत्रिका के प्रकाशन हेतु एक नियमावली निर्मित की गई है, जिसे विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- ***प्रस्तुत प्रस्ताव का विद्या परिषद द्वारा अवलोकन कर महिला अध्ययन केन्द्र के अकादमिक कलेण्डर पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही महिला मुद्दों पर आधारित शोध पत्रिका 'विदुषी' के प्रकाशन हेतु निर्मित नियमावली में वित्तीय एवं तकनीकि पहलुओं को स्पष्ट करते हुए संशोधित नियमावली को परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गई।***

**प्रस्ताव संख्या 33.13- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में 'वन स्टॉप सेंटर' स्थापित किये जाने एवं इस हेतु निर्मित रूपरेखा पर विचार।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निजी और सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत रूप से सहायता और सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से पूरे देश में 'वन स्टॉप सेंटर' योजना लागू की गई थी। यह सेंटर प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श सहित कई सेवाएं एकीकृत रूप से प्रदान करता है।

उक्त के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा D.O.No. F.91-1/2025(G.S.), दिनांक 01 जुलाई, 2025 के माध्यम से 'वन स्टॉप सेंटर' स्थापित किये जाने के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

इस संबंध में अवगत कराना है कि वतर्मान में विश्वविद्यालय में महिलाओं की समस्याओं से संबंधित विभिन्न प्रकोष्ठ जैसे- आन्तरिक शिकायत समिति, महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ आदि स्थापित है। तद्क्रम में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में 'वन स्टॉप सेंटर' स्थापित किये जाने पर विचार एवं 'वन स्टॉप सेंटर' स्थापित किये जाने हेतु प्रोफेसर रेनू प्रकाश, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा द्वारा निर्मित रूपरेखा विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गई है।

निर्णय:- ***प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत होते हुए विद्या परिषद द्वारा भविष्य में आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय में 'वन स्टॉप सेंटर' स्थापित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

**प्रस्ताव संख्या 33.14- विश्वविद्यालय में छः माह से अनधिक अवधि हेतु नियोजित अस्सिटेंट प्रोफेसर (ए0सी0) को अन्यत्र विश्वविद्यालयों से पीएच0डी0 कोर्स वर्क किये जाने हेतु विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में विचार।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में अल्पकालिक व्यवस्थान्तर्गत छ: माह से अनधिक अवधि हेतु नियोजित अस्सिटेंट प्रोफेसर (ए0सी0) द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों के शोध उपाधि कार्यक्रमों के कोर्स वर्क में ऑनलाइन/ऑफलाइन रूप से प्रतिभाग करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

इस संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित प्राविधानित व्यवस्थानुसार इस प्रकार का नियोजन नितान्त अस्थाई प्रकृति का है तथा नियोजन अवधि केवल छ: माह निर्धारित है। चूंकि पी-एचडी0 कोर्स वर्क की अवधि भी लगभग छ: माह होती है, अत: ऐसी स्थिति में अल्पकालिक व्यवस्था के अन्तर्गत नियोजित अस्सिटेंट प्रोफेसर (ए0सी0) को अन्य विश्वविद्यालयों के शोध उपाधि कार्यक्रमों के कोर्स वर्क में प्रतिभाग करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने पर नीति-निर्धारित किये जाने हेतु प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

***निर्णय:-*** ***प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर विद्या परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया कि छ: माह के नियोजन अथवा विश्वविद्यालय में अस्थाई रूप से नियोजित कार्मिकों को अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों के शोध उपाधि कार्यक्रमों के कोर्स वर्क में ऑनलाइन/ऑफलाइन रूप से प्रतिभाग किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जा सकता।***

**प्रस्ताव संख्या 33.15- विश्वविद्यालय में शोध संवर्द्धन परिषद (Research Promotion Council-RPC) की स्थापना किये जाने के संबंध में विचार।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक शोध द्वारा विद्या परिषद को विस्तार से अवगत कराया गया कि एक समृद्ध शोध संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में शोध संवर्द्धन परिषद (Research Promotion Council-RPC) की स्थापना किये जाने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

| उद्देश्य | औचित्य | परिषद के प्रमुख कार्य |
| --- | --- | --- |
| विश्वविद्यालय में एक समृद्ध शोध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए **शोध संवर्द्धन परिषद (Research Promotion Council-RPC)** की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक सहयोग एवं संसाधन उपलब्ध कराकर, आरपीसी यह सुनिश्चित करेगी कि छात्र एवं संकाय सदस्य सार्थक एवं प्रभावी शोध कार्य कर सकें। यह न केवल विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को सुदृढ़ करेगा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान एवं नवाचार के विकास में भी योगदान देगा। | RPC की स्थापना विश्वविद्यालय में उच्च-स्तरीय शोध को दिशा, समन्वय एवं प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु की जा रही है। यह परिषद विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्याशाखाओं, विभागों एवं केंद्रों में चल रहे शोधसंबंधी कार्यों के समन्वयन, मार्गदर्शन एवं निगरानी का कार्य करेगी। साथ ही, यह संकाय सदस्यों एवं शोधार्थियों को संस्थागत स्तर पर शोध-संबंधी नीतियों,परियोजनाओं, प्रकाशनों एवं सहयोगात्मक गतिविधियों के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करेगी। | शोध संवर्द्धन परिषद (**Research Promotion Council-RPC**) निम्नलिखित क्षेत्रों में नीति निर्माण, दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन करेगी:-<br>1. विश्वविद्यालय में शोध नीति का निर्माण एवं कार्यान्वयन<br>2. संकाय सदस्यों एवं शोधार्थियों के लिए शोध अनुदान, प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराने हेतु<br>3. राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय संस्थानों के साथ शोध सहयोग को बढ़ावा देने हेतु<br>4. गुणवत्ता आधारित शोध प्रकाशन, पेटेंट एवं नवाचार गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु<br>5. शोध सम्बन्धी नैतिकता एवं मानकों का पालन सुनिश्चित करने हेतु |



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

*निर्णयः-* ***प्रस्तुत प्रस्ताव का विद्या परिषद द्वारा अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान गया कि विश्वविद्यालय में शोध संवर्द्धन परिषद (Research Promotion Council-RPC) स्थापित किये जाने हेतु एक समिति के माध्यम से विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाय, समिति गठित किये जाने हेतु परिषद द्वारा माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।***

**प्रस्ताव संख्या 33.16- विश्वविद्यालय में शोधार्थियों हेतु शोध फेलोशिप/छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ किये जाने के संबंध में विचार।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक शोध द्वारा विद्या परिषद को विस्तार से अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के पीएच.डी. शोधार्थियों में उच्च गुणवत्ता वाले शोध एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में शोधार्थियों हेतु शोध फेलोशिप/छात्रवृत्ति योजना *प्रारंभ* किये जाने के संबंध में प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

| **उद्देश्य** | **औचित्य** | **फ़ेलोशिप की अवधि एवं मानक** |
|---|---|---|
| विश्वविद्यालय के पीएच.डी. शोधार्थियों में उच्च गुणवत्ता वाले शोध एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने हेतु विश्वविद्यालय के सीमित संख्या में पूर्णकालिक शोधार्थियों के लिए **शोध फेलोशिप/छात्रवृत्ति योजना** प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया जाता है। | फ़ेलोशिप से शोधार्थियों को अपने शोध कार्य, डाटा संकलन तथा संबंधित अकादमिक गतिविधियों में आवश्यक सहयोग प्राप्त होगा। तथा यह सहयोग शोधार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, मौलिक एवं सामाजिक रूप से प्रासंगिक शोध कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करेगा। | यह फेलोशिप **एक वर्ष की अवधि** के लिए योग्यता एवं शोध प्रगति के आधार पर प्रदान की जाएगी |

*निर्णयः-* ***प्रस्तुत प्रस्ताव का विद्या परिषद द्वारा अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त फेलोशिप का नाम 'विश्वविद्यालय शोध अध्येतावृत्ति' रखे जाने, प्रति विभाग 01 शोधार्थी को 01 वर्ष की अवधि हेतु ₹5000/-(₹ पॉच हजार मात्र) की धनराशि प्रदान किये जाने तथा इसके क्रियान्वयन हेतु शोध विभाग द्वारा Standard Operating Procedure (SOP) निर्मित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुए संबंधित SOP को अनुमोदित किये जाने हेतु अध्यक्ष, विद्या परिषद/ कुलपति जी को अधिकृत किया गया। साथ ही वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण प्रस्ताव विश्वविद्यालय की वित्त समिति को संदर्भित किया गया।***

**प्रस्ताव संख्या 33.17- विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों तथा शोधार्थियों को स्कोपस/वेब ऑफ़ साइंस तथा एबीडीसी, यूजीसी-केयर सूचीबद्ध पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित करने हेतु शोध प्रकाशन योजना आरंभ किये जाने के संबंध में विचार।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक शोध द्वारा विद्या परिषद को विस्तार से अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों तथा शोधार्थियों को गुणवत्तापरक शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित किये जाने हेतु स्कोपस/वेब ऑफ़ साइंस तथा एबीडीसी, यूजीसी-केयर सूचीबद्ध पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकशित करने हेतु **'शोध प्रकाशन योजना'** आरंभ किये जाने का प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्व[illegible]
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उ[illegible]

| उद्देश्य | औचित्य | राष्ट्रीय शिक्षा नीति )NEP-2020) के अनुरूपता: |
|---|---|---|
| यह योजना विश्वविद्यालय में शोध की गुणवत्ता, दृश्यता एवं प्रभाव को सुदृढ़ करेगी तथा संकाय सदस्यों तथा शोधार्थियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी शोध वातावरण में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित करेगी। | विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों तथा शोधार्थियों को उनके शोध पत्रों के **स्कोपस-वेब ऑफ़ साइंस सूचीबद्ध या यूजीसी-केयर सूचीबद्ध पत्रिकाओं** में प्रकाशन हेतु **आर्थिक सहायता** प्रदान की जाए। यह पहल संकाय सदस्यों तथा शोधार्थियों को प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए प्रेरित करेगी, विश्वविद्यालय की शोध दृश्यता को बढ़ाएगी तथा **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)2020** के गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होगी। | राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के दिशा- निर्देशों के अनुरूप, यह योजना विश्वविद्यालय में शोध एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगी, अकादमिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करेगी, तथा गुणवत्ता आधारित उच्च शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगी। |

***निर्णय:*** ***प्रस्तुत प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा प्रति शोध प्रकाशन के ₹10000/- (₹दस हजार मात्र) की धनराशि निर्धारित किये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई तथा इस संबंध में एक Standard Operating Procedure (SOP) निर्मित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुए संबंधित SOP को अनुमोदित किये जाने हेतु अध्यक्ष, विद्या परिषद/ कुलपति जी को अधिकृत किया गया। साथ ही वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण प्रस्ताव विश्वविद्यालय की वित्त समिति को संदर्भित किया गया।***

**प्रस्ताव संख्या 33.18- विश्वविद्यालय के नियमित संकाय सदस्यों के लिए लघु शोध परियोजना हेतु आर्थिक सहायता योजना आरम्भ किये जाने के संबंध में विचार।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक शोध द्वारा विद्या परिषद को विस्तार से अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के नियमित संकाय सदस्यों के लिए लघु शोध परियोजना हेतु आर्थिक सहायता योजना आरम्भ किये जाने के संबंध में प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

| उद्देश्य | औचित्य | अवधि एवं वित्तीय सहायता |
|---|---|---|
| शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और क्षेत्रीय विशिष्ट ज्ञान के विकास में योगदान देने के लिए विश्वविद्यालय के मिशन के अनुरूप ही, विश्वविद्यालय शोध की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करता है इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय अपने आंतरिक शोध | विश्वविद्यालय के नियमित संकाय सदस्यों को शोध कार्य हेतु प्रोत्साहित करना उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लघु शोध परियोजना हेतु आर्थिक सहायता योजना के माध्यम से संकाय सदस्यों को *प्रारंभिक अनुसंधान* | प्रत्येक *लघु शोध परियोजना* की अधिकतम अवधि **एक वर्ष (12 माह)** होगी।<br>प्रत्येक स्वीकृत परियोजना के लिए न्यूनतम पचास हजार ) 50000 (रूपये व अधिकतम **1,00,000 (एक लाख रुपये(** तक की आर्थिक |



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्ववि...
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्त...

| | | |
|---|---|---|
| प्रोत्साहन रणनीति के हिस्से के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा वित्तपोषित लघु शोध परियोजनाओं को (पीएमआर) आरम्भ करने के लिए संकाय सदस्यों को प्रोत्साहित करेगा। | *विचारों के विकास, डेटा संकलन, प्रयोगात्मक कार्यों* के लिए आवश्यक वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा। | सहायता प्रदान की जा सकेगी |

<u>निर्णयः</u> ***प्रस्तुत प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक सहमति देते हुए इस संबंध में एक Standard Operating Procedure (SOP) निर्मित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुए संबंधित SOP को अनुमोदित किये जाने हेतु अध्यक्ष, विद्या परिषद/ कुलपति जी को अधिकृत किया गया। साथ ही वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण प्रस्ताव विश्वविद्यालय की वित्त समिति को संदर्भित किया गया।***

**प्रस्ताव संख्या 33.19- विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की 20वीं बैठक दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 की संस्तुतियों का अनुमोदन।**

<u>निर्णयः-</u> ***विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 को सम्पन्न 20वीं बैठक की संस्तुतियों में मद संख्या 20.13- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-1 में विद्या परिषद द्वारा निम्नानुसार संशोधन करते हुए शेष कार्यवृत्त पर यथावत अनुमोदन प्रदान किया गयाः-***

***<u>मद संख्या 20.13.1-</u> किसी भी कार्यक्रम में यदि छात्र संख्या 40 या उससे अधिक होती है, तो ही उस कार्यक्रम की परीक्षा में सर्वोच्च अंक धारकों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जायेगा। स्वर्ण पदक प्रदान किए जाने हेतु अन्य मानक पूर्व की भांति यथावत रहेंगे।***

**प्रस्ताव संख्या 33.20- विश्वविद्यालय मान्यता बोर्ड की 10वीं बैठक दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 की संस्तुतियों का अनुमोदन।**

<u>निर्णयः-</u> ***विद्या परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय की मान्यता बोर्ड की 10वीं बैठक दिनांक 28.10.2025 की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

**प्रस्ताव संख्या 33.21- विश्वविद्यालय प्रवेश समिति की षष्टम बैठक दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 की संस्तुतियों का अनुमोदन।**

**निर्णय:-** ***विश्वविद्यालय प्रवेश समिति की दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 को सम्पन्न षष्टम बैठक की संस्तुतियों में मद संख्या 06.10 में विद्या परिषद द्वारा निम्नानुसार संशोधन करते हुए शेष कार्यवृत्त पर यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया:-***

***मद संख्या 06.10- विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत विज्ञान विषयों में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों की कार्यशाला (Workshop) हेतु निर्धारित शुल्क में प्रति विषय 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। यह व्यवस्था आगामी शैक्षणिक सत्र जनवरी, 2026 से विज्ञान वर्ग के समस्त शिक्षार्थियों पर लागू होगी।***

**प्रस्ताव संख्या 33.22- सीका (Centre for Internal Quality Assurance) की तृतीय बैठक दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 की संस्तुतियों का अनुमोदन।**

**निर्णय:-** ***विद्या परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत होते हुए सीका (Centre for Internal Quality Assurance) की तृतीय बैठक दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

**प्रस्ताव संख्या 33.23- विश्वविद्यालय की विभिन्न विद्याशाखाओं के अन्तर्गत सम्पन्न अध्ययन बोर्डों (Board of Studies) की संस्तुतियों का अनुमोदन।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में स्थापित विभिन्न विद्याशाखाओं के अन्तर्गत विभिन्न विषयों की अध्ययन बोर्ड (Board of Studies) की बैठकें विभिन्न तिथियों में सम्पन्न हुई हैं। तद्क्रम में अध्ययन बोर्डों द्वारा विभिन्न प्रकरणों पर की गई संस्तुतियां विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

| क्रम सं0 | विद्या शाखा का नाम | विषय | कार्यक्रम का नाम/अध्ययन बोर्ड की संस्तुति | संलग्नक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पर्यटन आतिथ्य एवं होटल प्रबंधन | पर्यटन/ होटल प्रबंधन | • The proposal to change the name of the School from School of Tourism, Hospitality and Hotel Management (STHHM) to School of Tourism and Hospitality Management (STHM) was discussed and approved unanimously. | अध्ययन बोर्ड की दिनांक 22.10.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित। |



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | • The Board noted the Hon'ble Vice-Chancellor's prior approval dated 21st August 2019 and approved the introduction of the One-Year Diploma in Hospitality Administration (DHA) programme.<br>• The Board reviewed the status of the Diploma in Hospitality Administration (DHA) programme in light of UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020, and the UGC (DEB) notification dated 10th January 2025. It was resolved that the DHA-21 programme will be discontinued from the upcoming Winter Session, January 2026.<br>• The Board reviewed and approved the updated list of paper setters/examiners/editors/unit writers for MTTM, BTTM, DTS and DHA programmes.<br>• The Board approved the inclusion of a new course on Accessible Tourism and also approved the revised structure and syllabus of the Diploma in Tourism Studies (DTS-25) programme, effective from the upcoming Winter Session, January 2026. | |
| 2. | मानविकी | संस्कृत एवं प्राकृत भाषाएं | भगवदगीता अध्ययन में डिप्लोमा | अध्ययन बोर्ड की दिनांक 21.06.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित। |
| 3. | विधि | मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून विभाग | एम0ए0 मानव अधिकार के तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम , लघु शोध प्रबंध के दिशा-निर्देश एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर के प्रोजेक्ट गाइडलाइन के संबंध में। | अध्ययन बोर्ड की दिनांक 10.10.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित। |



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

*निर्णयः-* *प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर विद्या परिषद द्वारा पर्यटन आतिथ्य एवं होटल प्रबंधन की दिनांक 22.10.2025 को सम्पन्न अध्ययन बोर्ड की संस्तुति के क्रम में पर्यटन आतिथ्य एवं होटल प्रबंधन विद्याशाखा का नाम परिवर्तित कर 'पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन विद्याशाखा' किये जाने हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित प्राविधानुसार कार्य परिषद के माध्यम से माननीय कुलाधिपिति जी की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने एवं प्रस्तावानुसार समस्त विषयों में सम्पन्न अध्ययन बोर्ड की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।*

**प्रस्ताव संख्या 33.24- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।**

**प्रस्ताव संख्या 33.24.01- दीक्षान्त समारोह से पूर्व प्रोविजनल उपाधि प्रदान किये जाने के संबंध में सूचना।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत 11 शिक्षार्थियों का एस0एस0बी0 में चयन होने के फलस्वरूप संबंधित शिक्षार्थियों द्वारा डिप्लोमा/उपाधि प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। चूंकि विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हुए शिक्षार्थियों को दीक्षान्त समारोह के उपरान्त ही डिप्लोमा/उपाधि प्रदान की जाती है और शैक्षणिक सत्र 2024-25 का दीक्षान्त समारोह अभी सम्पन्न नहीं होने के कारण संबंधित शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा प्राविजनल उपाधि प्रदान की गई थी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रोविजनल उपाधि/डिप्लोमा को भर्ती निर्देशक, सेना भर्ती कार्यालय, अल्मोड़ा , पिथौरागढ़, लैंसडाउन द्वारा मान्य नहीं किया गया।

इस संबंध में उक्त 11 शिक्षार्थियों द्वारा अपनी समस्या से माननीय राज्यपाल/ कुलाधिपति जी को अवगत कराया गया जिस पर माननीय कुलाधिपति जी द्वारा विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया कि संबंधित शिक्षार्थियों की समस्या का उचित समाधान किया जाए तथा संबंधित शिक्षार्थियों में से जिनके द्वारा कोर्स उत्तीर्ण कर लिया गया हो उन्हें दीक्षान्त समारोह की प्रतीक्षा किए बिना संबंधित कोर्स की उपाधि प्रदान कर दी जाय। तदक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलाधिपति जी से प्राप्त निर्देशानुसार उक्त 11 शिक्षार्थियों को दीक्षान्त समारोह से पूर्व डिप्लोमा/उपाधि प्रदान कर दी गई है।

*निर्णयः-* *माननीय कुलाधिपति जी के निर्देशानुसार 11 शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षान्त समारोह से पूर्व डिप्लोमा/उपाधि प्रदान किये जाने से विद्या परिषद अवगत हुई।*

**प्रस्ताव संख्या 33.24.02- उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा विदेशी नागरिकों को प्रवेश दिये जाने के संबंध में विचार।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक- F.No.2-1/2024(DEB-I), दिनांक 26 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में वर्तमान में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जा रहे समस्त कार्यक्रमों में विदेशी नागरिकों को प्रवेश दिये जाने पर प्रतिबन्ध है, जिस कारण वर्तमान में विश्वविद्यालय में विदेशी नागरिकों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

नेपाल देश के उत्तराखण्ड राज्य के समीपवर्ती होने के कारण पूर्व में नेपाल मूल के निवासियों तथा अन्य देशों के नागरिकों को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाता रहा है, किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त निर्देश के अनुपालन में वर्तमान में विदेशी नागरिकों को प्रवेश की सुविधा समाप्त कर दी गई है। तद्क्रम में समय-समय पर विदेशी नागरिकों से प्रवेश के संबंध में सूचनाएं मांगी जा रही हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए परिषद से अनुरोध है कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में विदेशी नागरिकों को प्रवेश दिये जाने पर पुर्नविचार करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किये जाने का प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, ताकि विदेशी नागरिक विश्वविद्यालय में प्रवेश की सुविधा से लाभान्वित हो सकें।

*निर्णय:-* ***प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों में विदेशी नागरिकों को प्रवेश देने की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड सरकार को पत्र प्रेषित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

बैठक के अन्त में विद्या परिषद के सदस्य प्रोफेसर दुर्गेश पंत, आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान एवं महानिदेशक, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू-कॉस्ट), देहरादून द्वारा निम्नवत् सुझाव दिये गये:-

1. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय ने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ODL) में उच्च मानक स्थापित किये हैं और राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। विश्वविद्यालय में संचालित विज्ञान विषयों से जुड़ी विषय वस्तु का Hands-on, प्रैक्टिकल का उच्च गुणवत्तापूर्ण व्यवहारिक ज्ञान शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक है, ताकि विज्ञान वर्ग सही अर्थों में अपने उच्च मानक स्थापित रख सके।

2. विश्वविद्यालय में जियो-इनफॉरमैटिक्स का कार्यक्रम लम्बे समय से संचालित हो रहा है जो अपने आप में विषय के महत्व को देखते हुए विश्वविद्यालय की बड़ी उपलब्धि है। इस संबंध में यह सुझाव है कि उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (USAC) जो इसरो इत्यादि के साथ मिलकर महत्वपूर्ण कार्य करता है इसके साथ एक एम0ओ0यू0 किया जाना समुचित होगा। राज्य की विज्ञान व तकनीकि की सर्वोच्च संस्था यू-कॉस्ट है, अत: वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू-कॉस्ट), देहरादून के साथ भी एक एम0ओ0यू0 किया जाना हितकर होगा।

कार्यसूची में सूचीबद्ध समस्त प्रस्तावों एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अन्य प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त विद्या परिषद के सदस्य सचिव/कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों, विशेषकर बाह्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी सदस्यों का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक सम्पन्न हुई।

**कुलसचिव/ सदस्य सचिव, विद्या परिषद** 10/11/2025

**कुलपति/अध्यक्ष, विद्या परिषद** 10/11/25



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्याल
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराख )